छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर, 2010 (अग्रहायण 17, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2010-2011 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, जिला कबीरधाम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, बिलासपुर शहर में जवाहरलाल नेहरू शहरी विकास योजनांतर्गत कराये गये अंडर ग्राउंड सीवरेज के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-64, दुर्ग शहर से निर्वाचित सदस्य, श्री हेमचंद यादव को दिसम्बर, 2010 सत्र में दिनांक 6 दिसम्बर से दिनांक 10 दिसम्बर, 2010 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री राजकमल सिंघानिया, सदस्य, कसडोल विधान सभा क्षेत्र के विकासखण्ड पलारी अंतर्गत ग्राम पंचायत गिर्रा में हाई स्कूल खोलने,

(2) श्री परेश बागबाहरा, सदस्य, खल्लारी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) बागबाहरा में बायपास सड़क निर्माण करने,
- (ii) ग्राम छुईहा एवं फिरगी के मध्य नाले पर पुल निर्माण करने,
- (iii) बागबाहरा नगर में पेयजल हेतु बकमा एनीकट निर्माण करने,
- (iv) ग्राम मोहन्दा एवं बढ़ईपाली के मध्य नाले पर पुल निर्माण करने,
- (v) ग्राम धनोरा एवं हरदी के मध्य नाले पर पुल निर्माण करने,

(3) श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सदस्य, गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

- (i) ग्राम राहुद में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु भवन निर्माण करने,
- (ii) ग्राम कान्दुल में संचालित हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में करने,
- (iii) ग्राम मोखा में संचालित हाई स्कूल का उन्नयन हायर सेकेण्डरी स्कूल में करने,
- (iv) ग्राम डुड़िया में संचालित पूर्व माध्यमिक शाला का उन्नयन हाई स्कूल में करने तथा

(4) श्री बर्नाड जोसेफ रोड्रीक्स, सदस्य, सक्ती विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सिंगसरा नवापारा में बोरई नाले पर पुलिया निर्माण करने

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 2

निर्धारित समय **6. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **एक हजार तैंतीस करोड़, बहत्तर लाख, उनसठ हजार, आठ सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2010 (क्रमांक- 29 सन् 2010) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (2) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (3) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

15 मिनट (4) श्री अमर अग्रवाल, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ साहूकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

1 घंटा (5) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट प्रदेश में मलेरिया की रोकथाम हेतु कारगर कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर

दिनांक 7 दिसम्बर, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.